

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)

email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/ 2324

बालाघाट, दिनांक 02/04/2025

“डिमाण्ड नोट”

प्रति,

महाप्रबंधक,

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1,

बालाघाट (म.प्र.)

विषय:-

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद्।

(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/155629/2022 एवं प्रकरण क्रमांक WL/MP/ROAD/468651/2024)

संदर्भ :-

(1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024

(2) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024

(3) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों, जिनकी प्रतिलिपी आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त संदर्भित तीनों पत्रों की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही एवं अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने हेतु संलग्न भेजी जाती है। विषयांतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों (भाग A अन्तर्गत 01 से 13 तक एवं भाग B अन्तर्गत 01 से 16 तक) के अन्तर्गत जारी की गई है, एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024 द्वारा लेख किया है कि स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार आवेदक संस्थान को वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करें। जिन शर्तों के पालन में आवेदक संस्थान से वचन पत्र प्राप्त किया जाना है, प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन के साथ भिजवाए। साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामांतरण, फार्म पी-2, कब्जा रसीद आदि की प्रति भिजवायें। प्रकरण में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर बालाघाट के प्रमाण पत्र की प्रति भी भिजवाए। प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना प्रारूप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-अभिलेख) को पालन प्रतिवेदन के साथ प्रतिलिपि भेजें एवं भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (A) 9 के पालन में मार्ग के किनारे-किनारे रोपण योजना तैयार कर एकजाई मांग पत्र में उक्त राशि कैम्पा मद में जमा कराने की कार्यवाही कर रोपण योजना इस कार्यालय को भिजवाए। तथा भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड कर भिजवाए, ताकि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

(A) संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 अन्तर्गत

अतएव तत्संबंध में आपको लेख कर सूचित किया जाता है, कि विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त अनुसार निम्नानुसार वांछित राशियों का भुगतान, अधिरोपित शर्त क्र० A: (1), (4), (5), (9) की राशि

अधिरोपित शर्त क्र० A: (9) अन्तर्गत दिये गये निर्देश अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के CAMPA fund में e-portal (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करे :-

(1) क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि :-

अधिरोपित शर्त क्र० A: (1) एवं B: (2) अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) हेतु आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला- बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0033/अ-59 वर्ष 22-23 पारित आदेश दिनांक 12 दिसंबर 2022 द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (मद- बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम- घुम्पुर, प०ह०न० 63, तह० बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा क्र० 25/1क/1 के कुल रकबा 96.837 हेक्टेयर में से 82.000 हेक्टेयर (04 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/413102/2023 (Portal 2.0) (2) FP/MP/Road/155629/2022

(3) FP/MP/Road/156164/2022 (4) FP/MP/Road/155479/2022) भूमि बालाघाट जिले में उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल को उपलब्ध कराई गई है। अतः विषयांतर्गत उपर्युक्त प्रकरणों में उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार आंकलित क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि जमा करे।

(2) बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि :-

अधिरोपित शर्त क्र० A: (1) एवं B: (2) अन्तर्गत बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) हेतु 04 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/413102/2023 (Portal 2.0) (2) FP/MP/Road/155629/2022 (3) FP/MP/Road/156164/2022 (4) FP/MP/Road/155479/2022) में प्रभावित भूमि के एवज में बालाघाट जिले में उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल अंतर्गत उनके वनकक्ष क्रमांक 1713 में रकबा 38.00 हे०, वनकक्ष क्रमांक 1706 में रकबा 22.00 हे० एवं वनकक्ष क्रमांक 1749 में रकबा 22.00 हे० = कुल रकबा 82.00 हे० बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) प्रस्तावित कर योजना बनाई गई है। अतः विषयांतर्गत उपर्युक्त प्रकरण में उत्तर बालाघाट सामान्य वनमण्डल द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार आंकलित बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि जमा करे।

(3) नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.) की राशि हेतु गणना :-

अधिरोपित शर्त क्र० A: (4) एवं B: (3) अन्तर्गत प्रकरण में संलग्न अभिलेख प्रपत्र भाग-II एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुसार आवेदित प्रस्तावित वनक्षेत्र में वनों की श्रेणी Eco Class III एवं वनों का घनत्व 0.5, 0.6 हैं। अतः म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पत्र आदेश क्रमांक/एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/F.No.5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्रमांक/File No. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/2022/10-11/66 दिनांक 07.01.2022 एवं पत्र क्रमांक/एफ-5/2022/10-11/250 दिनांक 20.01.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार "वनों की ईको वैल्यू श्रेणी (वनों का प्रकार व घनत्व के आधार पर) Class-III (Tropical Dry Deciduous Forests) ऊर्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वनों का घनत्व-मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7), Dense अनुसार राशि रुपये 12,28,590.00 प्रति हेक्टेयर की दर से निम्नानुसार आंकलित होती है -

16.65 हे० x 12,28,590.00 लाख प्रति हे० = राशि **रु० 2,04,56,024.00** (रुपये दो करोड़ चार लाख, छप्पन हजार, चौबीस मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.) की आंकलित कुल राशि **रु० 2,04,56,024.00** (रुपये दो करोड़ चार लाख, छप्पन हजार, चौबीस मात्र) का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.- A: (5) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-पोर्टल (<https://Parivesh.nic.in>) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।

तथा साथ ही जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.- B: (3) अंतर्गत विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) के अतिरिक्त कोई राशि देय होती है, तो यह राशि आपसे (उपयोगकर्ता अभिकरण/आवेदक विभाग/संस्थान से) वसूली जायेगी, अतः आप उपयोगकर्ता अभिकरण/आवेदक विभाग/संस्थान, इस आशय का एक वांछित वचन पत्र (Undertaking) बनाकर 05 प्रतियों में इस वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें। तथा उपरोक्त अधिरोपित शर्त अनुसार वनभूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (Net Present Value) की आंकलित राशि में लगाई गयी दरों में भविष्य में परिवर्तन इत्यादि होने पर आंकलित राशि के अंतर की राशि इत्यादि जमा करने के संबंध में भी एक "वचन-पत्र" बनाकर 05 प्रतियों में संलग्न प्रेषित करने का कष्ट करें।

(4) रोड़ साईड प्लांटेशन के एवज में अन्यत्र बिगड़े वनक्षेत्र में वृक्षारोपण की राशि :-

प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्रमांक (A) 9 अन्तर्गत रोड़ साईड प्लांटेशन के एवज में अन्यत्र बिगड़े वनक्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा.) परिक्षेत्र के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक/288 दिनांक 24.03.2025 एवं उपवनमंडलाधिकारी, बालाघाट (सा.) उपवनमंडल के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक/499 दिनांक 25.03.2025 से प्राप्त 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार आंकलित राशि रुपये **1,00,61,076.00** (रुपये एक करोड़, इकसठ हजार, छहत्तर मात्र) जिसकी

तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके आदेश क्रमांक/व्यय आं./114 दिनांक 28.03.2025 एवं पत्र पृ.क्र./व्यय आं./1621 दिनांक 28.03.2025 से प्रदान की गई है। उक्त तैयार योजना में शासन के कैम्पा मद में जमा करने हेतु राशि रुपये 1,00,61,076.00 (रुपये एक करोड़, इकसठ हजार, छहत्तर मात्र) का आंकलन कर दर्शित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित आंकलित कुल राशि रुपये 1,00,61,076.00 (रुपये एक करोड़, इकसठ हजार, छहत्तर मात्र) का भुगतान शासन के कैम्पा (CAMP) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।

इस संबंध में वन मुख्यालय भोपाल कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/2023/10-11/4104 दिनांक 13.09.2023 द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार आवेदक संस्थानों को कैम्पा मद में राशि जमा करने का मांग पत्र निम्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित है :-

प्रपत्र

स. क्र.	मद का नाम	रकबा (हे० में)	घनत्व (Density)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	2	3	4	5	6	7
1	नेट प्रजेन्ट वैल्यू (N.P.V.) की राशि	16.65	0.5, 0.6	Eco Class III (Tropical Dry Deciduous Forest) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन)	(16.65 हे० X 12,28,590.00 प्रति हे०) = 2,04,56,024.00 (रुपये दो करोड़ चार लाख, छप्पन हजार, चौबीस मात्र)	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 अनुसार
योग राशि-					2,04,56,024.00	
2	क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि	अधिरोपित शर्त क्र० A: (1) एवं B: (2) अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) हेतु आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला- बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0033/अ-59 वर्ष 22-23 पारित आदेश दिनांक 12 दिसंबर 2022 द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (मद- बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम- घुमुर, प०ह०न० 63, तह० बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा क्र० 25/1क/1 के कुल रकबा 96.837 हेक्टेयर में से 82.000 हेक्टेयर (04 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/413102/2023 (Portal 2.0) (2) FP/MP/Road/155629/2022 (3) FP/MP/Road/156164/2022 (4) FP/MP/Road/155479/2022) भूमि बालाघाट जिले में उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल को उपलब्ध कराई गई है। अतः विषयांतर्गत उपर्युक्त प्रकरणों में उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार आंकलित क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि जमा करे।				
3	रोड़ साईड प्लांटेशन के एवज में अन्यत्र बिगड़े वनक्षेत्र में वृक्षारोपण की राशि	-	-	-	1,00,61,076.00 (रुपये एक करोड़, इकसठ हजार, छहत्तर मात्र)	मु. व. सं. बालाघाट वनवृत्त द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क्र०/व्यय आं./114 दि० 28.03.2025 अनुसार
योग राशि-					1,00,61,076.00	
4	बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि	अधिरोपित शर्त क्र० A: (1) एवं B: (2) अन्तर्गत बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) हेतु 04 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/413102/2023 (Portal 2.0) (2) FP/MP/Road/155629/2022 (3) FP/MP/Road/156164/2022 (4) FP/MP/Road/155479/2022) में प्रभावित भूमि के एवज में बालाघाट जिले में उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल अंतर्गत उनके वनकक्ष क्रमांक 1713 में रकबा 38.00 हे०, वनकक्ष क्रमांक 1706 में रकबा 22.00 हे० एवं वनकक्ष क्रमांक 1749 में रकबा 22.00 हे० = कुल रकबा 82.00 हे० बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) प्रस्तावित कर योजना बनाई गई है। अतः विषयांतर्गत उपर्युक्त प्रकरण में उत्तर बालाघाट सामान्य वनमंडल द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार आंकलित बिगड़े वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि जमा करे।				

अतः उपरोक्त बिंदु क्रमांक (1), (2), (3) एवं (4) तथा निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित राशियों का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.- A: (5) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-पोर्टल (<https://Parivesh.nic.in>) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMP) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें। तथा आपके विभाग/संस्थान द्वारा शासन के CAMP मद में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गयी उपरोक्त राशियों की सूचना एवं संबंधित अभिलेख आदि की सत्यापित प्रति तत्काल इस वनमण्डल कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तथा इसके अतिरिक्त

(B) संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अन्तर्गत

उपरोक्त विषयांकित वन्यजीव अनुमति के प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 द्वारा लेख किया गया है, कि उपर्युक्त संदर्भित पत्र से जारी वन्यजीव अनुमति में अधिरोपित शर्त क्र० 1 एवं शर्त क्र० 5.2 के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेंडा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार वन्यप्राणी कॉरिडोर के विकास एवं कॉरिडोर में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 के एजेंडा क्र० 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाईगर

फाउन्डेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई. एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा कराई जावे। आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा कराई जावे। तथा अधिरोपित शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) वनमंडलाधिकारी दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमंडल के माध्यम से प्रेषित किया जावे।

अतएव उपरोक्तानुसार जारी वन्यजीव अनुमति में अधिरोपित शर्त क्र० 1 एवं शर्त क्र० 5.2 के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेंडा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार वन्यप्राणी कॉरिडोर के विकास एवं कॉरिडोर में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कास्ट राशि 1311.00 लाख की 2 प्रतिशत (13,11,00,000/- की 2 प्रतिशत) राशि रु० 26,22,000/- (रुपये छब्बीस लाख बाईस हजार मात्र) मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 के एजेंडा क्र० 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाईगर फाउन्डेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई. एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा कराई जावे तथा जमा कराई गई राशि की रसीद UTR नम्बर सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात् उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (भाग A अंतर्गत 01 से 13 तक एवं भाग B अंतर्गत 01 से 16 तक) के संबंध में शर्तवार वांछित वचन पत्रों सहित अनुपालन प्रतिवेदन मय अभिलेखों आदि सहित तत्काल इस वनमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, एवं पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर भी अपलोड करावे। ताकि आपके विभाग/संस्थान से प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन इस वनमंडल कार्यालय में प्राप्त होने पर उसे वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके। कृपया प्रकरण में वन मुख्यालय भोपाल द्वारा जब तक औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, एवं आपको कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी नहीं की जाती है, तब तक विषयांकित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(अधर गुप्ता)

भा०व०स०

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा०) वनमंडल, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 02/04/2025

पृ.क्रमांक/तकनीकी/

2325

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 एवं आपके पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 एवं आपके पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 की छायाप्रति संलग्न कर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5. वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
6. उपवनमण्डलाधिकारी लांजी/बालाघाट (सा.) उपवनमण्डल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. वन परिक्षेत्र अधिकारी, हट्टा, पूर्व लांजी एवं पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. शाखा प्रभारी व्यय/राजस्व शाखा दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 018/2023-बीएचओ/80864 दिनांक 30.08.2024 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/4667, 4668 दिनांक 02.09.2024 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.09/434, 435 दिनांक 13.01.2025 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


 (अधर गुप्ता)
 भा0व0स0
 वनमंडलाधिकारी
 दक्षिण (सा0) वनमंडल, बालाघाट
 पञ्जाब शा. वनमंडल, बालाघाट